झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
द्वितीय (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 18.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	डॉ० इरफान अंसारी स०वि०स०	स्वच्छ भारत मिशन के तहत् जिन पंचायतों को झारखण्ड में खुले से शौच मुक्त घोषित किया गया है, वहाँ निर्मित शौचालयों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने के कारण उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके अतिक्ति कतिपय शौचालय भी अधूरे पड़े हुए है, जिसका कारण पर्याप्त राशि का इसमें प्रावधान नहीं होना है और कतिपय मामलों में अनियमितायें भी है। अतः उक्त विषय पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था अधूरे पड़े शौचालयों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि प्रावधानित करना तथा अनियमितता से संबंधित मामलों की जाँच कराकर कार्रवाई करने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता
02-	श्री आलोक कुमार चौरसिया स०वि०स० श्री मनीष जायसवाल स०वि०स० श्री राज सिन्हा स०वि०स०	हमारे निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग भण्डरिया गढ़वा जिला के अन्तर्गत आते हैं। उक्त प्रखण्ड के पंचायत बड़गड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थानीय व्यवस्था के तहत् संचालित थी जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने ग्रामीणों को बेहतर व्यवस्था सुविधा प्रदान करने हेतु भवन का निर्माण कराया, परन्तु उक्त भवन में आज-	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

01.	02.	03.	04.
		तक सरकारी चिकित्सक/नर्स एवं स्टाफ की नियुक्ति (पदस्थापन) नहीं होने के कारण इलाज के अभाव में उसे प्रखण्ड भंडरिया या जिला- गढ़वा जाना पड़ता है। अतः ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सरकार चिकित्सक/नर्स तथा स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र किये जाने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।	
03	श्री भानु प्रताप शाही स०वि०स० श्री जय प्रकाश भाई पटेल स०वि०स० श्री अमर कुमार बाउरी स०वि०स०	राज्य में विलुप्त हो रही जातियाँ जैसे- मुसहर, भुईया, रजवार एवं बिरहोर जाति की संख्या बहुत ही कम है, इन्हें मौलिक सुविधायें यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से जोड़ देने से एवं विशेष पैकेज के माध्यम से इनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है और समाज की मुख्यधारा से जोड़कर इस समाज का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। अतः सदन के माध्यम से माँग करते है कि उक्त विलुप्त हो रही सभी जातियों को विशेष पैकेज के तहत जोड़ा जाये।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी
04-	श्री रामचन्द्र सिंह स०वि०स० श्रीमती सीता सोरेन स०वि०स०	लातेहार जिला में वर्ष- 1983 से 2014 तक जमीन सर्वे में खतियान और पंजी- ii का मिलान किए बगैर वर्ष 2014 में सर्वे लागू किया गया। इस भिन्नता के कारण भू-स्वामियों को काफी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः खतियान और पंजी- ii को मिलान करते हुए स्थल का भौतिक सत्यापन, विशेष समिति बनाकर कागजात की जाँच कराकर पूर्व की भाँति जमीन का लगान रसीद काटने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ०पृ०उ०-

01.	02.	03.	04.
05	श्रीमती ममता देवी स0वि0स0	डी0वी0सी0 द्वारा दिनांक- 10.03.2020 से डी0वी0सी0 कमांड जिले- रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, चतरा, कोडरमा एवं गिरिडीह में 18 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। वर्त्तमान में झारखण्ड सरकार के ऊपर डी0वी0सी0 का करीब 4955 करोड़ रुपये बकाया है जिसके कारण ही इनके द्वारा बिजली की कटौती की जा रही है इस कारण इन सात जिलों के निवासियों एवं व्यापारियों के जीवन पर प्रतिकुल असर पड़ रहा है। अतः मैं डी0वी0सी0 कमांड एरिया के अन्तर्गत आने वाले उक्त सातों जिलों में हो रहे 18 घंटे बिजली कटौती की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इससे निजात हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट करती हूँ।	ऊर्जा

राँची,
दिनांक- 18 मार्च, 2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-1185/वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/03/2020

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं उर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज अज़ीज बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-1185/वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/03/2020

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

17/03/20